न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 86 / 2021

1 मोहम्मद इरफान पुत्र स्व. मोहम्मद इब्राहीम उम्र 50 साल जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला जमीदारान सीकर तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट्स

बनाम

1 मोहम्मद आमीन पुत्र मकबूल
2 मोहम्मद आदिल पुत्र आमीन
3 सब्बीर अहमद पुत्र मकबूल
समस्त जाति मुसलमान कच्छावा निवासीगण मोहल्ला जमीदारान सीकर तहसील व जिला सीकर राज.।
4 श्योभगवान पुत्र सुरजा जाति माली निवासी सबलपुरा तहसील धोद जिला सीकर राज.।
5 गजानन्द पुत्र स्व. बालू
6 परमेश्वर पुत्र स्व. बालू
7 पूर्णमल पुत्र स्व. बालू
समस्त जाति माली निवासीगण गोपीनाथ की ढाणी वार्ड नम्बर 01 सीकर तहसील व जिला सीकर राज.।
8 सुरेश कुमार निर्वाण पुत्र नेमीचन्द निर्वाण
9 मनोज कुमार निर्वाण पुत्र नेमीचन्द निर्वाण
समस्त जाति मोची निवासीगण मोचीवाड़ा सीकर तहसील व जिला सीकर राज.।
10 तहसीलदार धोद जिला सीकर।
11 उप पंजीयक सीकर तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर
द्वितीय सीकर प्रार्थना पत्र संख्या 12/2013 उनवानी
सितारा बनाम शकील आदि आदेश दिनांक 15.09.2021
जिसके द्वारा अपीलान्ट/प्रार्थी का आवेदन अ. धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया गया

उपस्थिति :

1. श्री नसीर अहमद खान, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 22/5/26

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 12/2013 में पारित निर्णय दिनांक 15.09.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलान्टस ने एक आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ बाबत भूमि खसरा नम्बर 303 (गत भू—प्रबंधक कार्यवाही के दौरान 303/1, 303/2, 303/3, 303/4 बनाये गये) वाके ग्राम सबलपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र 212 खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि आवेदन में वर्णित कृषि भूमियां स्वीकृत रूप से अपीलान्ट के पूर्वज कप्तान गुलाब खा पुत्र मोहम्मद खां के जागीरदारी कब्जे, अधिकारी में रही है तथा अपीलान्ट की माता सितारा व उनके पिता हुसैन पुत्र गुलाब की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

मृत्यु होने के बाद वादग्रस्त कृषि भूमियों में काबिज होकर काश्त करते रहे है उनके निधन के बाद अपीलान्ट व उसके परिवार के भाईबंध अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते रहे है, परन्तु रेस्पोडेन्टस ने भू–प्रबंध विभाग व राजस्व अधिकारियों से साज करके गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में अपने नाम करवा लिया है। वर्तमान में खसरा नम्बर 504/980 रकबा 1.00 है., खसरा नम्बर 516 रकबा 0.010 है. गै.मु. कुआ, खसरा नम्बर 518 रकबा 2.93 है, खसरा नम्बर 1142/519 रकबा 0.92 है. का ही विवाद शेष रहा है। दावा में वर्णित अन्य खसरा नम्बरान को लेकर पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है। भू–प्रबंध व राज्य सरकार के कर्मचारियों ने गलत रूप से साबिक खसरा नम्बर 303 से बने नये खसरा नम्बर 303/3 रकबा 25 बीघा 10 बिश्वा चूना वल्द सेडू जाति माली तथा खसरा नम्बर 303/1 रकबा 24 बीघा 2 बिश्वा दीपा पुत्र गोमा, जाति माली मूल दावे के अप्रार्थी संख्या 11 एवं 14 के पूर्वजों से सांठ–गांठ कर राजस्व रिकार्ड में नाम अंकित कर दिया जबकि उक्त भूमि पर अपीलान्ट के पूर्वज गुलाब खां पुत्र महमद बक्स राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व से ही भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे थे तथा प्राकृतिक उपज का उपयोग व उपभोग कर लाभान्वित होते चले आ रहे है तथा लगान सरकारी अदा करते आ रहे है। मूल दावे के अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 20 के पूर्व हकधारियों का वादग्रस्त भूमि से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नही है तथा मूलदावे के अप्रार्थी संख्या 11 व 14 के पूर्वज चूना व दीपा का कभी भी वादग्रस्त भूमि पर कब्जा, काश्त नहीं रहा है और ना ही अपीलान्ट के पूर्वजों ने वादग्रस्त भूमि का बेचान ही किया है। प्रार्थीया के पूर्वज की खातेदारी समाप्त करने से पूर्व अपीलान्ट की माता व उनके पूर्वजों को कोई नोटिस नही दिया गया है और ना ही बचाव व सुनवाई का अवसर दिया गया है। इस प्रकार अवैधानिक कार्यवाही की गई है तथा गलत इन्द्राज के आधार पर मूल दावे के अप्रार्थी संख्या 11 व 14 के पूर्वजों ने उक्त भूमि का बेचान अवैध रूप से दावे के अन्य अप्रार्थीगण को किया गया है जो अपीलान्ट के अधिकारों के प्रति बेअसर है। रेस्पोडेन्टस वादग्रस्त संपदा को विकय कर देते है तो अपीलान्ट के द्वारा दावा पेश करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जावेगा तथा वाद बाहुल्यता बढ़ेगी। अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर के आदेश दिनांकित 15.09.2021 को निरस्त किया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जाकर अपीलान्ट का आवेदन अ. धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार फरमाये जाने की कृपा करें। प्रस्तुत अपील अंतिम बहस में चल रही है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है। आवेदन खारिज किये जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रार्थीया हस्तगत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में विवादित आराजी की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नही है, अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में नासाबित होकर, अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। चूंकि पत्रावली पर राजस्व रिकार्ड के अनुसार कब्जा भी विवादित आराजी पर अप्रार्थी का साबित एवं प्रार्थी का नासाबित होता है अतः अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन का सिद्धान्त भी अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है यदि उक्तानुसार काबिज एवं रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया जावे तो अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी अप्रार्थी के पक्ष में ही साबित होता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलान्ट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 5 गजानन्द ने न्यायालय में दिनांक 20.09.2021 को न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर के मु.नं. 12/2013 बउनवानी सितारा बनाम शकील आदि में निर्णय दिनांक 15.09.2021 के लिये कैवियट प्रस्तुत की थी। उक्त कैवियट को न्यायालय के रजिस्टर में क्रम संख्या 210 पर दिनांक 29.09.2021 को दर्ज की। विचाराधीन अपील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर कैवियटर को नोटिस नहीं दिया गया तथा दिनांक 09.11.2021 को स्थगन आदेश पारित कर दिया गया जो आदेश न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के व विधि के प्रतिकुल होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। वरवक्त बहस अविवक्ता श्री प्रभातीलाल ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर दस्तावेजात रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2013(2) पेज 828, आरआरटी 2003(2) पेज 1267, आरआरडी 2006(जन.) पेज 37, आरआरटी 2011(1) पेज 612,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

आरआरटी 2001(1) पेज 15, आरआरडी 1980 पेज 666 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्राथमिक आपत्ति सारहीन हो चुका है क्योंकि प्रकरण में गुणावगुण पर अंतिम बहस सुनी जा चुकी है। अतः रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय से रेस्पोडेन्ट एवं उनके पूर्वजों के पक्ष में चला आ रहा है। विवादित भूमि कभी भी अपीलान्ट के खातेदारी में दर्ज नहीं रही है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला अपीलान्ट के पक्ष में नहीं होकर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में होना प्रकट होता है।

विवादित भूमि पर कब्जे के संदर्भ में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त होना प्रकट होता हो इसके विपरित रिकार्डेड खातेदार काश्तकार रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त होने की अवधारणा विधि में मान्य है। अतः सुविधा का संतुलन रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने से अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में होना प्रकट है। साक्ष्य के अभाव में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किये जाने पर अपूरणीय क्षति रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को होती है। अतः यह बिन्दु भी अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में पाया जाता है।

विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलान्ट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22/5/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी • सीकर •